अध्याय XVI : पर्यटन मंत्रालय

16.1 लेखापरीक्षा के बताए जाने पर धन की वापसी

मंत्रालय ने एक परियोजना जिसका लक्ष्य चिन्हित पर्यटन स्थानों पर विश्वस्तरीय पर्यटन संरचना उपलब्ध करवाना था के लिए केन्द्र शासित प्रदेश लक्ष्द्वीप के प्रशासन को मार्च 2008 में ₹6.62 करोड़ की राशि जारी की। लेखापरीक्षा द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने का मुद्दा उठाए जाने के बाद, मंत्रालय ने यह मुद्दा केन्द्र शासित प्रदेश के साथ उठाया जिसके उपरान्त ₹2.77 करोड़ की अप्रयुक्त राशि मंत्रालय को वापस कर दी गई।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने मार्च 2008, में चिन्हित प्रमुख पर्यटन स्थलों/सर्किटों में विश्वस्तरीय पर्यटन संरचना उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना "प्रोडक्ट/इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर डेस्टीनेशन्स एण्ड सर्किट्स" के अन्तर्गत "ऑगमेंटिग टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द यू टी ऑफ लक्ष्द्वीप" नामक परियोजना के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के रुप में ₹7.83 करोड़ अनुमोदित किये। मंत्रालय ने कार्य आरम्भ करने के लिए मार्च 2008 में केन्द्र शासित प्रदेश लक्ष्द्वीप के प्रशासन को अग्रिम के रूप में ₹6.26 करोड़ की पहली किस्त जारी की जो कि ₹7.83 करोड़ की केन्द्रीय सहायता राशि का 80 प्रतिशत थी। शेष 20 प्रतिशत राशि उपयोगिता एवं समापन प्रमाण पत्र की प्राप्ति के उपरान्त जारी की जानी थी।

संस्वीकृति के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार परियोजना का निष्पादन लक्ष्द्वीप लोक निर्माण विभाग (एल.पी.डब्ल्यू.डी.) द्वारा किया जाना था तथा कार्य का प्रारम्भ संस्वीकृति की तिथि के अधिकतम एक वर्ष के भीतर यानि मार्च 2009 तक हो जाना चाहिए था। आगे, केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन को नियमित रूप से कार्य प्रगति रिपोर्ट एवं व्यय का विवरण केन्द्र सरकार, पर्यटन मंत्रालय को त्रैमासिक रुप से भेजना था। संस्वीकृति पत्र में यह भी उल्लिखित था कि

केन्द्र सरकार द्वारा दी गई राशि को केन्द्र शासित प्रदेश/निष्पादन संस्था छः माह से अधिक समय तक अप्रयुक्त नहीं रखेगी। यदि निधि का उपयोग उस समय के अन्दर न हो पाया तो उसे केन्द्र सरकार को वापस कर दिया जायेगा या फिर उसे किसी दूसरी केन्द्रीय वित्त सहायता प्राप्त परियोजना में स्थानान्तरित/समायोजित करने के लिए केन्द्र सरकार से औपचारिक अनुमोदन लिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने अक्तूबर 2010 में एवं पुनः सितंबर 2012 में परियोजना के कार्य की धीमी गति एवं केन्द्र शासित प्रशासन द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र न जमा करने के बारे में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को बताया। इसके उपरांत, मंत्रालय ने मार्च 2011 में मामले को केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन के साथ उठाया।

मंत्रालय ने बताया (जून 2014) कि केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने ₹6.26 करोड़ में से ₹3.49 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिए थे एवं ₹2.77 करोड़ की अप्रयुक्त राशि मंत्रालय को वापस लौटा दी थी (₹1.77 करोड़ सितंबर 2013 में एवं ₹एक करोड़ फरवरी 2014 में)।

तथ्य यह रहा कि पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परियोजना की अपर्याप्त निगरानी के कारण पाँच वर्षों के बाद भी कार्य अपूर्ण रहा तथा इस दौरान ₹2.77 करोड़ की निधि अप्रयुक्त रही जिसे लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने के बाद ही मंत्रालय द्वारा वापस लिया गया। आगे, मंत्रालय ने ₹2.77 करोड़ की राशि पर ₹96.46 लाख ब्याज के रूप में केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप प्रशासन पर अभी तक (जून 2014) न लगाये और न ही वसूले हैं।